



भारतीय सेना में शामिल हों
एनसीसी विशेष प्रवेश योजना 124वाँ पाठ्यक्रम (अक्टूबर 2026):
महिलाओं के लिए लघु सेवा आयोग (एनटी)
(युद्ध में हताहत हुए सेना कर्मियों के बच्चों सहित)

हाईलाईट्स

**(नीचे दी गई जानकारी सिर्फ़ सामान्य जागरूकता के लिए है।
www.joinindianarmy.nic.in पर पब्लिश कोर्स नोटिफिकेशन देखें।)**

वर्ग	विवरण	अधिसूचना पैराग्राफ़ संख्या
प्रविष्टि का प्रकार	एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम - 124 कोर्स (अक्टूबर 2026) शॉर्ट सर्विस कमीशन (एनटी) महिला (युद्ध में हताहत हुए सेना कर्मियों के वार्ड सहित)	पैरा 1
आयु के लिए खुला	01 जुलाई 2026 को 19 से 25 वर्ष अविवाहित महिला (स्नातक)	पैरा 2(बी)
शैक्षणिक योग्यता	ग्रेजुएशन डिग्री और कम से कम 'B' ग्रेड एनसीसी की 'सी' सर्टिफिकेट परीक्षा में	पैरा 2(सी)
रिक्तियां	05 +01* *युद्ध हताहतों के वार्ड	पैरा 3
चयन प्रक्रिया	एप्लीकेशन > शॉर्टलिस्टिंग > SSB > मेडिकल > मेरिट लिस्ट > जॉइनिंग लेटर	पैरा 10
SSB के लिए शॉर्टलिस्टिंग की तारीख (ग्रेजुएट परसेटेज कट ऑफ के आधार पर)	मई 2026 के पहले हफ्ते में	पैरा 10
SSB के लिए संभावित समय और तारीखें	मई/जून 2026 में ज्यादा से ज्यादा पाँच दिन का SSB (अप्रैल में 15 दिनों के लिए SSB सेंटर और तारीखों के लिए चॉइस खुली है)	पैरा 10(सी)
चिकित्सा मानक	www.joinindianarmy.nic.in पर दिया गया है	पैरा 11
प्री कमीशन ट्रेनिंग अकादमी	अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई	पैरा 13 और 5(डी)
प्रशिक्षण की अवधि	अक्टूबर 2026 से 49 सप्ताह	पैरा 5
प्रशिक्षण के दौरान वजीफा	56,100 रुपये प्रति माह	पैरा 7(एफ)
प्रशिक्षण के बाद रैंक	लेफ्टिनेंट	पैरा 7(ए)
कमीशनिंग पर वेतन	CTC लगभग 17-18 लाख प्रति वर्ष (फ्री मेडिकल कवर और साल में एक बार होम टाउन की यात्रा को छोड़कर)	पैरा 7(डी)
कमीशन का प्रकार	लघु सेवा आयोग	पैरा 4(ए)
रिलीज़ का विकल्प	प्रथम - सेवा के 05 वें वर्ष के बाद दूसरा - सेवा के 10 वें वर्ष के बाद तीसरा - सेवा के 14 वें वर्ष के बाद	पैरा 4(ए)
स्थायी कमीशन का विकल्प	10 साल बाद	पैरा 4(ए)
कमीशन के लिए प्राथमिक हथियार / सेवा	आईए के सभी हथियार और सेवाएँ	पैरा 6
रिलीज़ लाभ	रिलीज़ पर सर्विस के आधार पर	-
ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 फरवरी 2026 को दोपहर 3:00 बजे खुलेगा और 16 मार्च 2026 को 1500 बजे बंद होगा।		



भारतीय सेना में शामिल हों

एनसीसी विशेष प्रवेश योजना 124वां कोर्स (अक्टूबर 2026):

**महिलाओं के लिए लघु सेवा आयोग (एनटी) [एसएससीडब्ल्यू (एनसीसी)-124]
(युद्ध में हताहत हुए सेना कर्मियों के बच्चों सहित)**

1. भारतीय सेना में एनसीसी विशेष प्रवेश के रूप में लघु सेवा कमीशन (गैर तकनीकी) के अनुदान के लिए अविवाहित महिला (भारतीय सेना कार्मिक के युद्ध हताहतों के वार्ड सहित) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. पात्रता .

(क) राष्ट्रीयता । उम्मीदवार को या तो (i) भारत का नागरिक होना चाहिए, या (ii) नेपाल की प्रजा होनी चाहिए, या (iii) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों के न्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ेरे और इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पलायन कर गया हो, बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ii) और (iii) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति हो जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। हालांकि, नेपाल के गोरखा नागरिकों के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु सीमा . नेशनल कैडेट कोर (NCC) कैंडिडेट्स (बैटल कैजुअल्टीज के बच्चों सहित) के लिए 01 Jul 2026 को 19 से 25 साल (जन्म 02 Jul 2001 से पहले और 01 Jul 2007 के बाद न हुआ हो, दोनों तारीखें शामिल हैं)।

नोट : कैंडिडेट्स ध्यान दें कि मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या उसके बराबर के सर्टिफिकेट में एप्लीकेशन जमा करने की तारीख पर लिखी जन्मतिथि ही मानी जाएगी और बाद में इसे बदलने की किसी भी रिक्वेस्ट पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे मंजूरी नहीं दी जाएगी।

IMPORTANT NOTE . Candidates must note that they can appear for ONLY one of the Services Selection Board (SSB) interview, either SSCW (NT) (WOMEN)-124 Course (Oct 2026) as CDSE candidate OR NCC (Spl) Entry-124 Course (WOMEN) (Oct 2026). Candidates are required to give undertaking to this effect under the declaration part of the online application.

(ग) शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य मानदंड ।

(i) NCC 'C' सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए ।

(अअ) एजुकेशनल कालिफिकेशन । किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री । फाइनल ईयर में पढ़ रहे एप्लिकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वे कोर्स शुरू होने से पहले ग्रेजुएशन डिग्री पूरी कर लें। ऐसे कैंडिडेट के लिए, तीन/चार साल के डिग्री कोर्स के पहले दो/तीन सालों में स्कोर किए गए कुल % को शॉर्टलिस्टिंग के लिए माना जाएगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रेजुएट डिग्री होना एंट्री के लिए अप्लाई करने की कालिफिकेशन है और SSB के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए यह कालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। इंडियन आर्मी, ज़रूरत के हिसाब से, अलग-अलग फिल्टर के आधार पर वैकेंसी से कॉल अप रेश्यो लागू करके SSB के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार रखती है।

(अब) NCC में सर्विस । NCC के सीनियर डिवीज़न/Wg में कम से कम दो/तीन साल (जैसा लागू हो) सर्विस की हो।

(अस) ग्रेडिंग। NCC के 'C' सर्टिफिकेट एग्जाम में कम से कम 'B' ग्रेड मिला हो। जिन एप्लिकेट्स के पास एप्लीकेशन की तारीख पर NCC 'C' सर्टिफिकेट या प्रोविजनल NCC 'C' सर्टिफिकेट नहीं है, वे कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। एप्लीकेशन की तारीख पर प्रोविजनल NCC सर्टिफिकेट रखने वाले कैंडिडेट्स को SSB में आने से पहले NCC 'C' सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। SSB में प्रोविजनल NCC 'C' सर्टिफिकेट एक्सेस नहीं किया जाएगा।

नोट 1. डिग्री कोर्स के क्लालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स पास कर लिया है, उन्हें 1 अक्टूबर 2026 तक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिकूटिंग में प्रोविजनल/डिग्री सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ऐसा न करने पर उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा।

नोट 2. डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवारों के लिए। ग्रेजुएशन के आखिरी साल में पढ़ रहे कैंडिडेट्स, अगर उनके पास पहले से प्रोविजनल/डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन्हें 1 अक्टूबर 2026 तक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिकूटिंग को ग्रेजुएशन डिग्री एग्जाम पास करने का प्रूफ और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। जो लोग बताई गई तारीख तक डिग्री सर्टिफिकेट/प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं, उन्हें एडिशनल बॉन्ड बेसिस पर तभी शामिल किया जाएगा जब वे ऊपर बताई गई तारीख तक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिकूटिंग को ग्रेजुएशन डिग्री एग्जाम पास करने का प्रूफ और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट जमा करेंगे।

नोट 3. सभी अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार जिनके अंतिम वर्ष / अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 01 अक्टूबर 2026 के बाद निर्धारित की जाएगी, वे इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं हैं।

नोट 4. जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन डिग्री की परीक्षा पास नहीं की है, वे तभी एलिजिबल होंगे जब वे डिग्री परीक्षा के फाइनल ईयर में पढ़ रहे हों। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक फाइनल ईयर की डिग्री परीक्षा पास नहीं की है और उन्हें SSB में बैठने की इजाजत है, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि यह सिर्फ उन्हें दी गई एक खास छूट है। उन्हें ऊपर बताई गई तारीख तक ग्रेजुएशन डिग्री परीक्षा पास करने का प्रूफ और ग्रेजुएशन डिग्री परीक्षा की सभी मार्कशीट जमा करनी होंगी और बेसिक क्लालिफाइंग यूनिवर्सिटी परीक्षा के देर से होने, रिजल्ट की घोषणा में देरी या किसी भी दूसरे आधार पर इस तारीख को बढ़ाने की कोई रिकेस्ट नहीं मानी जाएगी।

(ii) भारतीय सेना कार्मिक के युद्ध हताहतों के आश्रितों के लिए।

(क) एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वॉर्ट्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज़ के तहत वैकेंसी आर्मी वॉर्ट्स कैजुअल्टीज़ के वॉर्ट्स (बिना शादी किए बेटे और बिना शादी की बेटियां, जिनमें कानूनी तौर पर गोद ली हुई बेटियां भी शामिल हैं) के लिए उपलब्ध हैं, जिन्हें इस तरह बताया गया है:-

(अआ) कार्रवाई में मारा गया।

(अइ) घाव या चोटों से मृत्यु (खुद को लगी चोटों के अलावा)।

(अई) घायल या घायल (खुद को लगी चोट के अलावा)।

(अउ) लापता, मृत मान लिया गया।

(ख) एजुकेशनल क्लालिफिकेशन। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री। फाइनल ईयर में पढ़ रहे एप्लिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वे कोर्स शुरू होने से पहले ग्रेजुएशन डिग्री पूरी कर लें। ऐसे कैंडिडेट के लिए, तीन/चार साल के डिग्री कोर्स के पहले दो/तीन सालों में स्कोर किए गए कुल % को शॉर्टलिस्टिंग के लिए माना जाएगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रेजुएट डिग्री होना एंट्री के लिए अप्लाई करने की क्लालिफिकेशन है और SSB के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए यह क्लालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। इंडियन आर्मी, ज़रूरत के हिसाब से, अलग-अलग फिल्टर के आधार पर वैकेंसी से कॉल अप रेश्यो लागू करके SSB के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार रखती है।

(ग) बैटल कैजुअल्टी के वार्ड्स के लिए NCC 'C' सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है।

(घ) एप्लीकेशन फॉर्म में दिए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स।

(अअ) जनशक्ति (नीति एवं योजना) निदेशालय (एमपी डीटीई) द्वारा जारी 'युद्ध हताहत' प्रमाण पत्र संख्या यह सर्टिफाई करना कि माता-पिता एक्शन में मारे गए/घायल हुए/लापता बताए गए हैं।

नोट :- Sep 2013 से पहले के कैजुअल्टी के लिए, संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस से जारी किया गया बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट वैलिड है। Sep 2013 के बाद के कैजुअल्टी के लिए, बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट एडजुटेंट जनरल की ब्रांच मैनपावर (पॉलिसी और प्लानिंग)-5(D) से जारी किया जाना चाहिए।

(अब) मैनपावर (पॉलिसी और प्लानिंग) डायरेक्टरेट (MP Dte) / संबंधित रेजिमेंटल रिकॉर्ड्स पार्ट ॥ ऑर्डर नंबर की एक कॉपी, जिसमें चोटों की जानकारी दी गई हो और उन्हें 'बैटल कैजुअल्टी' के तौर पर क्लासिफाई किया गया हो।

(अस) जनशक्ति (नीति और योजना) निदेशालय 5 और 6 / संबंधित रेजिमेंटल रिकॉर्ड द्वारा जारी संबंध प्रमाण पत्र संख्या।

टिप्पणी। लड़ाई में घायल हुए सैनिकों के बच्चों को नीचे दिए गए पैराग्राफ 9 (b) में बताए गए डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी होंगी। हालांकि, उन्हें SSB इंटरव्यू के समय सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रूप में लाने होंगे। अधूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्शन सेंटर तुरंत रिजेक्ट कर देगा और इस बारे में किसी भी रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा या उसका जवाब नहीं दिया जाएगा।

3. रिक्तियां .

(क) एनसीसी महिला . 06 (सामान्य श्रेणी के लिए 05 और केवल भारतीय सेना के कर्मियों के युद्ध हताहतों के लिए 01)।

नोट: इंडियन आर्मी हर एंट्री के साथ-साथ हर जेंडर (पुरुष और महिला) के लिए अलग-अलग वैकेंसी पब्लिश/नोटिफाई करती है, जो फोर्स की ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतों पर आधारित होती है, जैसा कि अभी और भविष्य के हालात में सोचा गया है। एप्लीकेशन का प्रोसेस, SSB शॉर्टलिस्टिंग (कट-ऑफ), हर एंट्री और हर जेंडर (पुरुष और महिला) का सिलेक्शन और मेरिट अलग-अलग है और इससे जुड़ा या डिपेंडेंट नहीं है। यह पूरी तरह से नोटिफाई की गई वैकेंसी पर आधारित है और खास कोर्स के लिए नोटिफिकेशन के तहत मिले एप्लीकेशन से चलता है।

4. सेवा की शर्तें और नियम .

(ख) **नियुक्ति की अवधि** . अधिकारी (पुरुष और महिला) दस साल तक सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि, दस साल की सेवा की अवधि को चार साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते वे इसके लिए विकल्प चुनें और समय-समय पर जारी की गई नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सेवा विस्तार के लिए योग्य और उपयुक्त पाए जाएं। जो अधिकारी स्थायी कमीशन (पीसी) प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें समय-समय पर जारी की गई नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पात्रता और उपयुक्तता के अनुसार सेवा के 10 वें वर्ष में इसके लिए विचार किया जा सकता है। जो अधिकारी (पुरुष और महिला) पीसी चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं दिया जाता है, वे सेवा विस्तार का विकल्प चुन सकते हैं। समय-समय पर जारी की गई नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सेवा विस्तार के लिए योग्य और उपयुक्त पाए जाने वाले अधिकारियों को चार साल की अवधि के लिए विस्तार दिया जा सकता है, जिसकी समाप्ति पर उन्हें सेना से मुक्त कर दिया जाएगा।

(अअ) **सेवा के 5 वें वर्ष के पूरा होने पर रिहाई के लिए विशेष प्रावधान ।** एसएससीओ (पुरुष और महिला अधिकारी), उनके अलावा जिन्होंने इस तरह का कोई अन्य विशेष पाठ्यक्रम किया है या कर रहे हैं, जो पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवा छोड़ना चाहते हैं, सेवा के पांचवें वर्ष के दौरान रिहाई के लिए सेना मुख्यालय में आवेदन कर सकते हैं। सेना मुख्यालय ऐसे अधिकारियों के आवेदनों पर योग्यता के आधार पर विचार करेगा और सेना मुख्यालय का निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। अनुमोदन के बाद ऐसे अधिकारियों को सेवा के 5 वें वर्ष के पूरा होने पर सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। वे एसएससीओ (पुरुष और महिला अधिकारी) जिन्होंने इस तरह का कोई अन्य विशेष पाठ्यक्रम किया है या कर रहे हैं, उन्हें 14 साल की पूरी अवधि समाप्त होने से पहले तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उनसे निर्धारित ऐसे विशेष पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की लागत वसूल नहीं की जाती

(अब) **बढ़े हुए कार्यकाल के दौरान स्पेशल प्रोविजन ।** बढ़े हुए कार्यकाल के दौरान, उन्हें इन वजहों से सेना से छुट्टी लेने की इजाजत होगी:-

- (i) सिविल नौकरी करना।
- (ii) उच्च शिक्षा प्राप्त करना।
- (iii) अपना बिज़नेस शुरू करना/पारिवारिक बिज़नेस में शामिल होना।

(ख) **परिवीक्षा अवधि** एक ऑफिसर को कमीशन मिलने की तारीख से छह महीने के लिए प्रोबेशन पर रखा जाएगा। अगर प्रोबेशन पीरियड के अंदर यह रिपोर्ट किया जाता है कि वह अपना कमीशन बनाए रखने के लिए सही नहीं है, तो उसकी सर्विस प्रोबेशन पीरियड खत्म होने से पहले या बाद में कभी भी खत्म की जा सकती है।

(ग) **पूर्व तिथि वरिष्ठता .** कोई पूर्व तिथि वरिष्ठता प्रदान नहीं की जाएगी.

(घ) **कमीशन की समाप्ति ।** शॉर्ट सर्विस कमीशन पाने वाले अधिकारी को दस साल तक सेवा करनी होगी, लेकिन भारत सरकार किसी भी समय उसका कमीशन खत्म कर सकती है:-

- (i) कदाचार या यदि उसकी सेवाएँ असंतोषजनक पाई जाती हैं, या
- (ii) चिकित्सीय अयोग्यता के कारण , या
- (iii) यदि उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, या
- (iv) अगर वह किसी तय टेस्ट या कोर्स में पास नहीं हो पाता है।

(v) किसी अधिकारी को तीन महीने का नोटिस देकर अनुकंपा के आधार पर अपने कमीशन से इस्तीफ़ा देने की इजाज़त दी जा सकती है, जिसके लिए भारत सरकार अकेली जज होगी। जिस अधिकारी को अनुकंपा के आधार पर अपने कमीशन से इस्तीफ़ा देने की इजाज़त दी जाती है, वह टर्मिनल ग्रेच्युटी के लिए योग्य नहीं होगा।

(च) **आरक्षित देयता**. शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस की अवधि खत्म होने से पहले या उससे पहले रिलीज़ होते हैं, उन्हें इंडियन आर्मी में पांच साल और दो साल वॉलंटरी बेसिस पर या महिलाओं के लिए 37 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, सेवा करने की रिज़र्व ज़िम्मेदारी होगी।

5. प्रशिक्षण . ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA), चेन्नई में ट्रेनिंग का समय 49 हफ्ते है ।

(क) ट्रेनिंग एकेडमी जॉइन करने से पहले कैंडिडेट को जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड हासिल करने होंगे, वे इस तरह हैं:-

एस.एन.	गतिविधि	न्यूनतम शारीरिक मानक
		अधिकारी कैडेट (महिला)
(मैं)	2.4 किमी दौड़	13 मिनट
(ii)	पुश अप	15
(iii)	अपने आप को रोकना	02
(iv)	जागते रहना	25
(v)	स्काट	30 दोहराव के दो सेट
(छठी)	लंजेस	10 दोहराव के दो सेट
(सप्तम)	तैरना	तैराकी की बुनियादी बातें पता होनी चाहिए

(ख) चुने गए कैंडिडेट्स को OTA, चेन्नई में प्री-कमीशन ट्रेनिंग के लिए फाइनल मेरिट ऑर्डर में उनकी पोजीशन के हिसाब से भेजा जाएगा , जो उपलब्ध वैकेंसी की संख्या तक होगा, बशर्ते वे सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करें।

(ग) कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान न तो शादी करने की इजाज़त होगी और न ही उन्हें माता-पिता/गार्जियन के साथ रहने की इजाज़त होगी। कैंडिडेट्स को OTA में पूरी ट्रेनिंग पूरी होने तक शादी नहीं करनी चाहिए। जो कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन की तारीख के बाद शादी करता है, भले ही वह SSB इंटरव्यू या मेडिकल एग्जाम में सफल हो, उसे ट्रेनिंग के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग के दौरान शादी करता है, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और सरकार को उस पर हुए सभी खर्च वापस करने होंगे। यह आर्मी के जवानों के बैटल कैजुअल्टी के बच्चों पर भी लागू होता है।

(घ) OTA, चेन्नई में प्री-कमीशन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने वाले सभी उम्मीदवारों को मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा 'डिफेंस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा' दिया जाएगा।

(च) **ट्रेनिंग का खर्च**। OTA में ट्रेनिंग का पूरा खर्च सरकारी खर्च पर होगा। अगर ऑफिसर कैडेट को मेडिकल ग्राउंड के अलावा किसी और वजह से या ऐसे कारणों से जो उसके कंट्रोल से बाहर न हों, ट्रेनिंग एकेडमी से हटा दिया जाता है, तो उसे ट्रेनिंग का खर्च ₹ 20,482/- प्रति हफ्ते (2026 तक) वापस करना होगा। जैसा समय-समय पर बताया जाएगा (ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई/कैडेट ट्रेनिंग विंग में कैंडिडेट के रहने के समय के लिए)। ट्रेनिंग का खर्च राज्य उठाएगा, और पर्सनल वजहों से नाम वापस लेने वाले कैडेट्स से वसूला जाएगा।

6. OTA से जेंटलमैन/लेडी कैडेट्स के पासिंग आउट से पहले आर्म्स/सर्विसेज़ का फ़ाइनल एलोकेशन किया जाएगा।
7. पदोन्नति मानदंड और वेतन संरचना।

(क) पदोन्नति मानदंड .

रैंक	पदोन्नति मानदंड
लैफिटनेंट	कमीशन पर
कप्तान	2 साल की रेकनेबल कमीशन्ड सर्विस पूरी होने पर।
प्रमुख	6 साल की रेकनेबल कमीशन्ड सर्विस पूरी होने पर।
लैफेन्ट कर्नल	13 साल की रेकनेबल कमीशन्ड सर्विस पूरी होने पर।
कर्नल (टीएस)	26 साल की रेकनेबल कमीशन्ड सर्विस पूरी होने पर।
कर्नल ब्रिगेडियर	ज़रूरी सर्विस शर्तों को पूरा करने पर सिलेक्शन के आधार पर
महा सेनापति	
लैफिटनेंट जनरल/एचएजी स्केल	
एचएजी + स्केल (*लैफिटनेंट जनरल की कुल संख्या के 1/3 के लिए मान्य)	
VCOAS/आर्मी कमांडर/लैफिटनेंट जनरल (NFSG)	
थलसेनाध्यक्ष	

(ख) सीनियरिटी का एडजस्टमेंट। PC अधिकारियों के मुकाबले SSCO की छोटी ट्रेनिंगके लिए एडजस्टमेंट करने के लिए , SSCO की सीनियरिटी को, सोचे जा रहे SSC कोर्स और उसके बराबर PC कोर्स के ट्रेनिंग पीरियड के बीच के अंतर के हिसाब से कम कर दिया जाएगा। यह एडजस्टमेंट सीनियरिटी कैटेग्री का पहला ज़रूरी रैंक देते समय की जाएगी।

(ग) रेकनेबल कमीशन्ड सर्विस। ऊपर पैरा 7 (b) के प्रोविजन के तहत, इन ऑर्डर्स के मकसद के लिए रेकनेबल कमीशन्ड सर्विस, ऑफिसर को शॉर्ट सर्विस कमीशन दिए जाने की तारीख से गिनी जाएगी। कोर्ट मार्शल की सज्जा या आर्मी एक्ट के तहत किसी समरी अवॉर्ड से ज़ब्त की गई सर्विस का समय और बिना छुट्टी के गैर-मौजूदगी का समय नहीं गिना जाएगा। वह समय जिसके दौरान फल्लो रेट्स ऑफ़ पे लिया जाता है और POWs रेट्स ऑफ़ पे पर कैद का समय गिना जाएगा। बिना पे की छुट्टी दिए जाने की वजह से किसी ऑफिसर द्वारा प्रमोशन के लिए खोई गई सर्विस का समय भी गिना जाएगा। हालांकि, ऐसा ऑफिसर इस समय को शामिल करके दिए गए हायर सब्स्टैटिव रैंक के वेतन और भत्तों का हकदार सिर्फ़ उस तारीख से होगा जिस तारीख को वह सर्विस के लिए कालिफ़ाई करता अगर यह समय इस तरह नहीं गिना जाता, न कि सब्स्टैटिव रैंक दिए जाने की तारीख से।

(घ) वेतन।

रैंक	स्तर	(₹ में भुगतान करें)
लेफ्टिनेंट	स्तर 10	56,100 - 1,77,500
कप्तान	स्तर 10बी	61,300 - 1,93,900
प्रमुख	स्तर 11	69,400 - 2,07,200
लेफ्टेनेंट कर्नल	स्तर 12ए	1,21,200 - 2,12,400
कर्नल	स्तर 13	1,30,600 - 2,15,900
ब्रिगेडियर	स्तर 13ए	1,39,600 - 2,17,600
महा सेनापति	स्तर 14	1,44,200 - 2,18,200
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल	स्तर 15	1,82,200 - 2,24,100
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी+स्केल	स्तर 16	2,05,400 - 2,24,400
VCOAS/सेना कमांडर/लेफ्टिनेंट जनरल (NFSG)	स्तर 17	2,25,000/- (निर्धारित)
थलसेनाध्यक्ष	स्तर 18	2,50,000/- (निर्धारित)

(च) सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी)। लेफ्टिनेंट से लेकर वरिष्ठ रैंक तक के अधिकारियों को एमएसपी। ब्रिगेडियर ₹ 15,500/- प्रतिमाह तय।

(छ) कैडेट प्रशिक्षण के लिए निश्चित वजीफा।

सर्विस एकेडमी में ट्रेनिंग के पूरे समय यानी OTA में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जेंटलमैन या लेडी कैडेट्स को स्टाइपेंड।	₹ 56,100/- प्रतिमाह*
---	-------------------------

*सफल कमीशनिंग पर, कमीशन प्राप्त ऑफिसर की पे मैट्रिक्स में सैलरी लेवल 10 के पहले सेल में तय की जाएगी और ट्रेनिंग के समय को कमीशन सर्विस नहीं माना जाएगा और ट्रेनिंग के समय के लिए लागू अलाउंस का एरियर कैडेट्स को दिया जाएगा।

(ज) अन्य भत्ते

महंगाई भत्ता	उन्हीं रेट और उन्हीं शर्तों पर मंजूर है जो समय-समय पर सिविलियन कर्मचारियों पर लागू होती हैं।
पैरा रिजर्व भत्ता	₹ 2625/-प्रतिमाह
तकनीकी भत्ता (टियर-I)	₹ 3000/-प्रतिमाह
तकनीकी भत्ता (टियर-II)	₹ 4500/-प्रतिमाह

(द्वा) रैंक और पोस्टिंग एरिया के आधार पर, फील्ड एरिया में पोस्टेड ऑफिसर नीचे दिए गए फील्ड एरिया अलाउंस के लिए एलिजिबल होंगे:-

आरएच अधिकतम ऑफर 42500/- रुपये सियाचिन भत्ता	कष्ट		
	उच्च	मध्यम	कम
उच्च	<p>आर1एच1 ऑफर- 25000 रुपये</p> <ul style="list-style-type: none"> उड़ान भत्ता मार्कोस और रथ भत्ता विशेष बल भत्ता पनडुब्बी भत्ता कोबरा भत्ता अधिक ऊंचाई पर भत्ता-श्रेणी ।।। 	<p>आर1एच2 ऑफर-16900 रुपये</p> <ul style="list-style-type: none"> HAFA भत्ता सीआई (एफडी) भत्ता (CI मॉड एफडी @77% CI एफडी) 	<p>आर1एच3 ऑफर-5300 रुपये</p> <ul style="list-style-type: none"> अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (एचपीसीए) रोगी देखभाल भत्ता (पीसीए) टेस्ट पायलट प्रथम इंजीनियर भत्ता
मिडियम	<p>आर2एच1 ऑफर-16900 रुपये</p>	<p>आर2एच2 ऑफर-10500 रुपये</p> <ul style="list-style-type: none"> एफडी एरिया अलाउंस (मॉड एफडी एरिया @ एफडी एरिया अलाउंस का 60%) सीआई (शांति) भत्ता समुद्र जाने का भत्ता फ्री फॉल जंप इंस्ट्रक्शन अलाउंस पैरा जंप इंस्ट्रू भत्ता पैरा भत्ता 	<p>आर2एच3 ऑफर-3400 रुपये</p>
कम	<p>आर3एच1 ऑफर-5300 रुपये</p> <ul style="list-style-type: none"> उच्च ऊंचाई भत्ता-श्रेणी ।। कठिन स्थान भत्ता-।। बॉयलर वॉच कीपिंग भत्ता पनडुब्बी ऊँटी भत्ता 	<p>आर3एच2 ऑफर-3400 रुपये</p> <ul style="list-style-type: none"> उच्च ऊंचाई भत्ता-श्रेणी ।। कठिन स्थान भत्ता-।। परियोजना भत्ता प्रतिपूरक (कॉन्स्ट या एसवीवाई) भत्ता हाइड्रो एसवीवाई भत्ता (गैर-सर्वेक्षकों को छोड़कर) 	<p>आर3एच3 ऑफर-1200 रुपये</p> <ul style="list-style-type: none"> कठिन स्थान भत्ता-।।। खाना पकाने का भत्ता मुश्किल से पैसा (पूरी दर) स्वास्थ्य और मलेरिया भत्ता विशेष एलसी गेट भत्ता पनडुब्बी तकनीक भत्ता हाइड्रो एसवीवाई भत्ता (सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए)

(त) वर्दी भत्ता ₹ 20,000/- प्रति वर्ष।

(थ) शांति एवं क्षेत्रीय क्षेत्रों में राशन ।

(द) परिवहन भत्ता (टीपीटीए)।

वेतन स्तर	उच्च टीपीटीए शहर (प्रति महीने)	अन्य जगहें (प्रति महीने)
10 और उससे ऊपरी	₹ 7200+उस पर डीए	₹ 3600+उस पर डीए

टिप्पणी।

- (i) उच्च टीपीटीए शहर (यूए) . हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलुरु, कोच्चि, कोइंग्कोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता।
- (ii) यह भत्ता उन सैन्यकर्मियों को नहीं मिलेगा जिन्हें सरकारी परिवहन की सुविधा दी गई है।
- (iii) पे लेवल 14 और उससे ऊपर के अधिकारी, जो ऑफिशियल कार इस्तेमाल करने के हकदार हैं, उनके पास ऑफिशियल कार सुविधा लेने या ₹15,750+DA की दर से TPTA लेने का ऑप्शन होगा।
- (iv) यह भत्ता पूरी तरह से छुट्टी वाले कैलेंडर महीने के लिए नहीं दिया जाएगा।
- (v) शारीरिक रूप से अक्षम सैन्य कर्मियों को न्यूनतम ₹ 2,250+ डीए प्रतिमाह की शर्त के अधीन दोगुनी दर से भुगतान किया जाता रहेगा।

(ध) चिल्डन एजुकेशन अलाउंस (CEA)। क्लास एक से 12 वीं क्लास तक तीन क्लास तक, सिर्फ दो बड़े बच्चों के लिए हर महीने हर बच्चे के लिए ₹2,250/-।

- (i) रीइम्बर्समेंट साल में सिर्फ एक बार, फ़ाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद किया जाना चाहिए (जो ज़्यादातर स्कूलों के लिए एकेडमिक ईयर के साथ मेल खाता है)।
- (ii) सरकारी कर्मचारी का बच्चा जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, उसके हेड का सर्टिफिकेट इस काम के लिए काफी होना चाहिए। सर्टिफिकेट से यह कन्फर्म होना चाहिए कि बच्चा पिछले एकेडमिक ईयर में स्कूल में पढ़ा था।

नोट 1. इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए खास अलाउंस के मामले में, इन अलाउंस के रेट हर बार 25% अपने आप बढ़ जाएंगे, जब रिवाइज़ड पे बैंड पर मिलने वाला महंगाई भत्ता 50% बढ़ेगा (GoI लेटर नंबर A-27012/02/2017-Estt.(AL) तारीख 16 अगस्त 2017)।

नोट 2. कृपया ध्यान दें कि वेतन और भत्ते तथा उसके नियम/प्रावधान समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।

(य) हॉस्टल सब्सिडी। क्लास 1 से 12 वीं क्लास तक तीन क्लास के लिए, सिर्फ दो बड़े बच्चों के लिए हर महीने हर बच्चे के लिए ₹ 6,750/-।

8. **आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड (AGIF)** | जिन जेंटलमैन/लेडी कैडेट्स को स्टाइपेंड मिलता है, उनका इंश्योरेंस ₹1.25 Cr का होता है, जैसा कि रेगुलर आर्मी के ऑफिसर्स के लिए लागू होता है। AGI स्कीम के तहत मेंबर बनने के लिए जेंटलमैन/लेडी कैडेट्स को ₹12,500/- की दर से मंथली AGIF सब्सक्रिप्शन एडवांस में देना होगा, जैसा कि रेगुलर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के लिए लागू होता है। जिन लोगों को इनवैलिडेटिंग मेडिकल बोर्ड (IMB) द्वारा डिसेबिलिटी की वजह से इनवैलिडेट कर दिया जाता है और जो किसी भी पेशन के हकदार नहीं हैं, उन्हें 100 परसेंट डिसेबिलिटी के लिए ₹25 लाख दिए जाएंगे। 20 परसेंट डिसेबिलिटी के लिए यह उसी हिसाब से घटकर ₹5 लाख हो जाएगा। हालांकि, 20 परसेंट से कम डिसेबिलिटी के लिए, सिर्फ़ ₹50,000/- का एक्स-ग्रेटिया ग्रांट दिया जाएगा। शराब, ड्रग्स की लत और एनरोलमेंट से पहले की बीमारियों की वजह से हुई डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी बेनिफिट और एक्स-ग्रेटिया ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं होगी। इसके अलावा, डिसिलिनरी वजहों से निकाले गए, अनचाहे कहकर निकाले गए या अपनी मर्जी से एकेडमी छोड़ने वाले जेंटलमैन/लेडी कैडेट्स डिसेबिलिटी बेनिफिट और एक्स-ग्रेटिया के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।

9. आवेदन कैसे करें

(क) आवेदन केवल www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। 'ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन/लॉगिन' पर क्लिक करें और फिर 'पंजीकरण' पर क्लिक करें (यदि www.joinindianarmy.nic.in पर पहले से पंजीकृत हैं, तो पंजीकरण आवश्यक नहीं है)। निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें। पंजीकृत होने के बाद, डैशबोर्ड के अंतर्गत 'ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें। एक पेज 'ऑफिसर चयन - पात्रता' खुलेगा। फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री कोर्स के सामने दिखाए गए 'आवेदन करें' पर क्लिक करें। एक पेज 'आवेदन पत्र' खुलेगा। निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और विभिन्न खंडों के तहत आवश्यक विवरण भरने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। व्यक्तिगत जानकारी, संचार विवरण, शिक्षा विवरण और पिछले एसएसबी का विवरण अपनी सभी डिटेल्स सही होने की पुष्टि करने के बाद ही 'Submit' पर क्लिक करें। कैडिडेट्स को कोई भी डिटेल्स एडिट करने के लिए हर बार एप्लीकेशन खोलते समय 'Submit' पर क्लिक करना होगा। कैडिडेट्स को आखिरी दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद होने के 30 मिनट बाद रोल नंबर वाली अपनी एप्लीकेशन की दो कॉपी निकालनी होंगी।

CANDIDATES ARE ADVISED TO READ THE NOTIFICATION CAREFULLY AND THEN FILL UP ONLINE APPLICATION FORM TO AVOID MISTAKES, AND THEREBY REJECTION OF APPLICATION.

ज़रूरी नोट 1. ऑनलाइन एप्लीकेशन में दी गई जानकारी में एप्लीकेशन बंद होने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस बारे में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया जाएगा।

ज़रूरी नोट 2. CGPA/ग्रेड्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन में 'ग्रेजुएशन में मिले मार्क्स' भरने के लिए संबंधित यूनिवर्सिटी के अपनाए गए फ़ार्मूले के हिसाब से मार्क्स में बदलना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर कोई भी गड़बड़ी मिलने पर कैडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा।

ज़रूरी नोट 3. प्रोफ़ाइल और ऑनलाइन एप्लीकेशन में कैडिडेट का नाम/माता-पिता का नाम (पिता और माता)/जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी बराबर के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। ऊपर दी गई जानकारी में बदलाव होने पर कैडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा।

(ख) उम्मीदवारों को नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सिलेक्शन सेंटर पर ले जाने होंगे:-

DIGILOCKER Certificate will not be accepted in lieu of ORIGINAL CERTIFICATES.

(i) एप्लीकेशन के प्रिंट आउट की एक कॉपी, जिस पर साइन किया हो और सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगा हो।

(ii) मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा सर्टिफिकेट या समकक्ष संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सर्टिफिकेट और मार्कशीट।

नोट 1. मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा सर्टिफिकेट या समकक्ष संबंधित शिक्षा बोर्ड से जारी सर्टिफिकेट ही जन्मतिथि, कैंडिडेट का नाम और माता-पिता का नाम (पिता और माता) के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे एडमिट कार्ड/मार्कशीट/ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नोट 2. अगर मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल एजामिनेशन सर्टिफिकेट या उसके बराबर के सर्टिफिकेट में माता-पिता का नाम (पिता और माता) नहीं है, तो कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार का जारी किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे PAN कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिखाना होगा। हालांकि, ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरा गया कैंडिडेट का नाम और उनके माता-पिता का नाम, दिखाए गए डॉक्यूमेंट में दिए गए नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।

(iii) 12 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र और अंक पत्र।

(iv) सातक डिग्री/अनंतिम डिग्री किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जारी किया गया हो। कैंडिडेट के एकेडमी जॉइन करने के समय प्रोविजनल डिग्री छह महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।

(v) सभी वर्षों/सेमेस्टरों की अंकतालिकाएँ।

(vi) NCC 'C' सर्टिफिकेट (NCC 'C' सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख कैंडिडेट के ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की तारीख या उससे पहले की होनी चाहिए)। वॉर्ट्स ऑफ बैटल कैजुअल्टीज से NCC 'C' सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।

(vii) संबंधित यूनिवर्सिटी से CGPA को मार्क्स में बदलने (जहां लागू हो) और कुल प्रतिशत के बारे में सर्टिफिकेट, जिसमें इस बारे में नियम/कन्वर्जन क्राइटेरिया/फार्मूला बताया गया हो।

(viii) प्रिंसिपल/इंस्टिट्यूशन के हेड से सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हो कि कैंडिडेट फाइनल ईयर में है और उसका रिजल्ट 1 अक्टूबर 2026 तक घोषित कर दिया जाएगा (सिर्फ फाइनल ईयर में शामिल कैंडिडेट के लिए)।

(ix) डिग्री कोर्स के आखिरी साल के कैंडिडेट को यह घोषणा करनी होगी कि वह 1 अक्टूबर 2026 तक पास होने का सबूत भर्ती महानिदेशालय को जमा कर देगा, ऐसा न करने पर उसकी कैंडिडेचर कैसल कर दी जाएगी।

(x) युद्ध में हताहतों के आश्रितों को ऊपर उल्लेखित दस्तावेजों के अतिरिक्त पैरा 2 (सी) (ii) (एडी) में उल्लेखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

(ग) कोई भी कैंडिडेट जो SSB इंटरव्यू के लिए ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स ORIGINAL में नहीं लाएगा, उसका कैंडिडेचर कैसल कर दिया जाएगा और उसे वापस भेज दिया जाएगा।

(घ) SSB इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन के लिए सभी ऑरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने होंगे। SSB में वेरिफिकेशन के बाद ऑरिजिनल सर्टिफिकेट वापस कर दिए जाएंगे। खुद। DIGILOCKER सर्टिफिकेट को ऑरिजिनल के बदले में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(च) ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जगह DIGILOCKER सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्कूल/कॉलेज हार्ड/फिजिकल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है, तो स्कूल/कॉलेज (प्रिंसिपल/रजिस्ट्रार) से एक सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमें लिखा हो कि DIGILOCKER के ज़रिए सिर्फ़ ई-सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और कोई हार्ड कॉपी नहीं दी गई है। ऐसे मामलों में, कैंडिडेट को ई-सर्टिफिकेट का कलर प्रिंटआउट दिखाना होगा, जिसे संबंधित स्कूल/कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सही तरह से ऑथेंटिकेट किया गया हो।

(छ) ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रिंटआउट की दूसरी कॉपी कैंडिडेट को रेफरेंस के लिए रखनी होगी। डायरेक्टरेट जनरल को कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। भर्ती।

(ज) कैंडिडेट्स को सिर्फ़ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी होगी। एक ही कैंडिडेट से कई एप्लीकेशन मिलने पर कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, और इस बारे में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया जाएगा।

(झ) इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में काम करने वाले कैंडिडेट्स को अपने कमांडिंग ऑफिसर को लिखकर बताना होगा कि उन्होंने इस एगजाम के लिए अप्लाई किया है। आर्म्ड फोर्सेज में काम करने वाले कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन, कमांडिंग ऑफिसर से सही तरह से काउंटरसाइन किए हुए, ऊपर बताए गए सभी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ SSB इंटरव्यू में ले जाने चाहिए, जब भी उन्हें बुलाया जाए।

10. सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह है:-

(क) एप्लीकेशन की शॉर्टलिस्टिंग। SSB के लिए एप्लीकेशन की शॉर्टलिस्टिंग 'NCC 'C' सर्टिफिकेट में परफॉर्मेंस और 'ग्रेड मार्क्स' के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 मार्क्स में से बोनस मार्क्स देकर की जाएगी। डिटेल्स नीचे दी गई हैं:-

(i) NCC 'C' सर्टिफिकेट में परफॉर्मेंस के लिए बोनस मार्क्स। NCC 'C' सर्टिफिकेट में परफॉर्मेंस के लिए मैक्सिमम 50 मार्क्स दिए जाएंगे, जो इस तरह हैं:-

(अअ) एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट में ए ग्रेड - 50 अंक

(अआ) एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट में (एबी)बी ग्रेड - 25 अंक

(ii) ग्रेजुएशन में परफॉर्मेंस के लिए बोनस मार्क्स (मार्क्स)। पढ़ाई में परफॉर्मेंस के लिए मैक्सिमम 50 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी ओवरऑल एग्रीगेट ग्रेजुएशन, तीन/चार साल के डिग्री कोर्स के पहले दो/तीन सालों में मिले एग्रीगेट मार्क्स (परसेंटेज) को माना जाएगा। दिए जाने वाले बोनस मार्क्स इस तरह होंगे:-

(अइ) 60% तक - शून्य

(अई) 60.00 से 64.99% - 05 अंक

(अब) 65.00 से 69/99% - 10 अंक

(अस) 70.00 से 74.99% - 20 अंक

(अद) 75.00 से 79.99% - 30 अंक

(अय) 80.00 से 84.99% - 40 अंक

(अर) 85.00 से 100.00 - 50 अंक

जैसे 1 कैंडिडेट जिसके ग्रेजुएशन में 78% नंबर हैं लेकिन NCC 'C' सर्टिफिकेट में 'B' ग्रेडिंग है, उसे $30 + 25 = 55$ बोनस मार्क्स दिए जाएंगे।

जैसे 2 कैंडिडेट जिनके ग्रेजुएशन में 72% नंबर हैं लेकिन NCC 'C' सर्टिफिकेट में 'A' ग्रेडिंग है, उन्हें $20 + 50 = 70$ बोनस मार्क्स दिए जाएंगे।

नोट 1 ग्रेजुएशन के आखिरी साल में पढ़ रहे कैंडिडेट ध्यान दें कि ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मिले कुल मार्क्स (%) डिग्री कोर्स के पहले दो/तीन सालों में मिले मार्क्स के बराबर या उससे ज्यादा होने चाहिए, यानी एप्लीकेशन के समय इस्तेमाल किए गए मार्क्स से। ऐसा न करने पर उनका कैंडिडेचर कैसल कर दिया जाएगा।

(iii) वैकेंसी से कॉल अप रेश्यो। ऊपर पैरा (i) और (ii) में दिए गए क्राइटेरिया के अनुसार बोनस मार्क्स देने के बाद एक मेरिट तैयार की जाएगी। फिर कैंडिडेट्स को वैकेंसी से SSB कॉल अप रेश्यो के आधार पर SSB के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के हिसाब से Rtg के Dte Gen तय करेंगे। SSB के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट को मेल से बताया जाएगा। जो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाएगी।

नोट 2 शॉर्टलिस्टिंग का ऊपर दिया गया प्रोसेस पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग होगा, जो नोटिफाइड वैकेंसी और मिले हुए एप्लीकेशन के अनुसार होगा।

(ख) SSB सेंटर और तारीख चुनना। एप्लीकेशन की शॉर्टलिस्टिंग के बाद, कैंडिडेट्स को वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा और अपना SSB सेंटर और तारीख चुननी होगी, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध हैं। एक बार SSB सेंटर और तारीख चुनने के बाद, उन्हें बाद में बदला नहीं जाएगा। किसी खास हालात/घटना की वजह से कैंडिडेट्स का SSB सेंटर और SSB तारीख चुनने का ऑप्शन खत्म हो सकता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिकूटिंग, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (आर्मी) एक बार SSB सेंटर और तारीख चुनने के बाद उसे बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ग) SSB का आयोजन। सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए गए योग्य कैंडिडेट ही प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), बैंगलुरु (कर्नाटक) और जालंधर (पंजाब) सिलेक्शन सेंटर पर SSB से गुज़रेंगे। SSB इंटरव्यू के लिए कॉल-अप लेटर संबंधित सिलेक्शन सेंटर द्वारा कैंडिडेट के रजिस्टर्ड ईमेल ID और SMS पर ही भेजा जाएगा। कैंडिडेट को दो स्टेज के सिलेक्शन प्रोसेस से गुज़रना होगा। जो लोग स्टेज 1 पास करेंगे, वे स्टेज 2 में जाएंगे। जो लोग स्टेज 1 में फेल हो जाएंगे, उन्हें उसी दिन वापस भेज दिया जाएगा। यानी पहला दिन। SSB इंटरव्यू का समय पांच दिन है और इसकी जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिकूटिंग की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.joinindianarmy.nic.in पर मौजूद है। इसके बाद स्टेज 2 के बाद रिकमेंड किए गए कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा।

(घ) प्री-कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी (PCTA) में शामिल होना। SSB द्वारा रिकमेंड किए गए और मेडिकल फिट घोषित किए गए कैंडिडेट्स को, सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने पर, उपलब्ध वैकेंसी की संख्या के आधार पर मेरिट के क्रम में ट्रेनिंग के लिए जॉइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। अगर कैंडिडेट को गलत जानकारी/सर्टिफिकेट देते हुए पाया जाता है या उसने ज़रूरी जानकारी नहीं दी है, तो कैंडिडेट का कैंडिडेट कैसल कर दिया जाएगा। PCTA में शामिल होने के लिए 'FIT' पाए जाने का मतलब यह नहीं है कि कैंडिडेट को जॉइनिंग लेटर मांगने का कोई अधिकार है, लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के अनुसार Dte Gen of Rtg की मर्जी पर निर्भर करता है।

11. मेडिकल एग्जामिनेशन । आर्मी में ऑफिसर्स की एंट्री के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के मेडिकल स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर के लिए, जैसा लागू हो, कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं। SSB मेडिकल एग्जामिनेशन की वैलिडिटी 270 दिन है, यानी SMB से PCTA जॉइनिंग डेट तक। कोई भी कैंडिडेट जिसने किसी भी सर्विस के किसी भी SSB के लिए SSB मेडिकल (SMB/AMB/RMB) दिया है और 'Med FIT' घोषित किया है, उसे SSC(NCC)-124 के SSB के बाद दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते इस कोर्स में शामिल होने की तारीख यानी **01 अक्टूबर 2026** तक पहली मेडिकल (SMB) की तारीख 270 दिनों से कम हो।

नोट : मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई गोपनीय है और किसी को नहीं बताई जाएगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिकूटिंग का किसी भी मेडिकल बोर्ड में कोई रोल नहीं है और मेडिकल अधिकारियों द्वारा बताए गए प्रोसेस का सख्ती से पालन किया जाएगा।

12. यात्रा रियायत भत्ता: । किसी खास तरह के कमीशन के लिए पहली बार SSB इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट को भारतीय ज्योग्राफिकल लिमिट के अंदर AC 3-टियर आने-जाने का रेलवे किराया या बस किराया, जिसमें रिजर्वेशन-कम-स्लिपर चार्ज भी शामिल है, मिलेगा। जो कैंडिडेट उसी तरह के कमीशन के लिए दोबारा आते हैं, उन्हें बाद में किसी भी मौके पर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस की मंजूरी या पेमेंट के बारे में किसी भी सवाल/क्लैरिफिकेशन के लिए, कैंडिडेट सीधे संबंधित सिलेक्शन सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।

13. मेरिट लिस्ट । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि SSB इंटरव्यू में सिर्फ़ कालिफ़ाई करने से फ़ाइनल सिलेक्शन कन्फर्म नहीं होता है। मेरिट लिस्ट SSB इंटरव्यू में कैंडिडेट के मिले नंबरों के आधार पर तैयार की जाएगी। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट के SSB नंबर बराबर होते हैं, तो ज़्यादा उम्र वाले कैंडिडेट को मेरिट में ऊपर रैंक दिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट के SSB नंबर और उम्र दोनों एक जैसे हैं, तो कालिफ़ाइंग एग्जाम में ज़्यादा परसेटेज वाले कैंडिडेट को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। ज़्यादा एजुकेशनल कालिफिकेशन, पिछली परफॉर्मेंस वैगैरह का कोई रोल नहीं है। जो लोग मेरिट लिस्ट में हैं और तय वैकेंसी में आते हैं और मेडिकली फ़िट हैं, उन्हें OTA, चेन्नई में प्री-कमीशन ट्रेनिंग के लिए जॉइनिंग लेटर दिए जाएंगे, बशर्ते वे सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते हों।

14. जो कैंडिडेट अपनी कैंडिडेचर रिपोर्ट करने की तारीख से 07 दिनों के अंदर रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनका कैंडिडेचर कैसिल कर दिया जाएगा और मेरिट में अगले कैंडिडेट को वैकेंसी भरने के लिए कंसीडर किया जाएगा।

15. इंडियन आर्मी में शामिल होने पर, भारतीय संविधान के आर्टिकल 33 के अनुसार सर्विस में कुछ पर्सनल पाबंदियां लगाई जाएंगी, जैसा कि आर्मी एक्ट और आर्मी रूल्स में समय-समय पर बताया गया है।

नोट 1. प्रमाण पत्र / दस्तावेजों / ऑनलाइन आवेदन में किसी भी अस्पष्टता / गलत सूचना / सूचना को छिपाने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी चरण में और उसके बाद उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट 2. कैंडिडेट को UPSC की तरफ से किसी भी एग्जाम में बैठने से कभी नहीं रोका गया हो।

नोट 3. कैंडिडेट को कभी भी किसी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अरेस्ट या दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए या वह किसी भी केस में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर सिलेक्शन प्रोसेस या प्री-कमीशन ट्रेनिंग के दौरान ऐसी कोई बात सामने आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेंस (आर्मी) के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर द्वारा कैंडिडेट/कैडेट का कैंडिडेचर कैसल कर दिया जाएगा/अकादमी से निकाल दिया जाएगा।

नोट 4. अनुशासनात्मक आधार पर एनडीए / आईएमए / ओटीए / नौसेना अकादमी / वायु सेना अकादमी या किसी भी सेवा प्रशिक्षण अकादमी से निकाले गए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

नोट 5. सिलेक्शन सेंटर के अलॉटमेंट, इंटरव्यू की तारीख, मेरिट लिस्ट, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन और किसी भी दूसरी ज़रूरी जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं। सवालों का जवाब सिर्फ़ 'Feedback/Queries' के ज़रिए दिया जाएगा। यह ऑप्शन रिकूटिंग वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नोट 6. कृपया हमारी वेबसाइट पर 'फीडबैक/क्वेरी' में प्रश्न सबमिट करने से पहले नोटिफिकेशन, वेबसाइट पर टिकर्स, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन्स और वेबसाइट पर अपलोड किए गए अन्य इंस्ट्रक्शन्स को अच्छी तरह से पढ़ें।

नोट 7. आखिरी घंटे की भीड़ से बचने और समय पर जवाब पक्का करने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद होने से तीन दिन पहले तक मिले सवालों पर ही ध्यान दिया जाएगा / उनका जवाब दिया जाएगा।

नोट 8. इस अधिसूचना के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

**ऑनलाइन आवेदन 13 फरवरी 2026 को खुलेगा 1500 बजे
और 16 मार्च 2026 को 1500 बजे बंद होगा।**



JOIN INDIAN ARMY
NCC SPECIAL ENTRY SCHEME 124 COURSE (OCT 2026):
SHORT SERVICE COMMISSION (NT) FOR WOMEN
(INCLUDING WARDS OF BATTLE CASUALTIES OF ARMY PERSONNEL)

HIGHLIGHTS

(Information given below is for general awareness only)

(Course Notification published on – www.joinindianarmy.nic.in – should be referred for detailed information about the entry)

Category	Description	Notification Paragraph No
Type of Entry	NCC Special Entry Scheme – 124 Course (Oct 2026) Short Service Commission (NT) Women (Including Ward of Battle Casualties of Army Personnel)	Para 1
Age	19 to 25 Years as on 01 Jul 2026	Para 2(b)
Open for	Unmarried Female (Graduates)	Para 1
Education Qualification	Graduation Degree and Minimum of 'B' Grade in 'C' Certificate exam of NCC	Para 2(c)
Vacancies	05 +01* *Wards of Battle Casualties	Para 3
Selection Process	Application > Shortlisting > SSB > Medical > Merit List > Joining Letter	Para 10
Date for shortlisting for SSB (based on graduate percentage cut off	Tentatively First week of May 2026	Para 10
Likely Duration and dates for SSB	Max Five days SSB in May/June 2026 (Choice for SSB Centre & dates open for 15 days in Apr)	Para 10(c)
Medical Standards	As given on www.joinindianarmy.nic.in	Para 11
Pre Commission Training Academy	Officer Training Academy, Chennai	Para 13 & 5(d)
Duration of Training	49 weeks from Oct 2026	Para 5
Stipend during Training	Rs 56,100 Per month	Para 7(f)
Rank after Training	Lieutenant	Para 7(a)
Salary on Commissioning	CTC approx. 17-18 Lac per annum (Excluding Free Medical cover & Travel to Home town once a year)	Para 7(d)
Type of Commission	Short Service Commission	Para 4(a)
Option for Release	First – After 05 th Year of Service Second – After 10 th Year of Service Third – After 14 th Year of Service	Para 4(a)
Option for Permanent Commission	After 10 Years	Para 4(a)
Primary Arms / Service for Commission	All Arms & Services of IA	Para 6
Release Benefits	Depending on service on release	-
ONLINE APPLICATION WILL OPEN ON 13 FEBRUARY 2026 AT 1500 HR AND CLOSE ON 16 MARCH 2026 AT 1500 HR.		



JOIN INDIAN ARMY

NCC SPECIAL ENTRY SCHEME 124TH COURSE (OCT 2026): SHORT SERVICE COMMISSION (NT) FOR WOMEN [SSCW (NCC)-124] (INCLUDING WARDS OF BATTLE CASUALTIES OF ARMY PERSONNEL)



1. Applications are invited from **unmarried female** (including Wards of Battle Casualties of Indian Army Personnel), for grant of Short Service Commission (Non Tech) as NCC Special Entry in the Indian Army.

2. Eligibility.

(a) Nationality. A candidate must either be: (i) A citizen of India, or (ii) A subject of Nepal, or (iii) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India provided that a candidate belonging to categories (ii) and (iii) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India. Certificate of eligibility will, however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

(b) Age Limit. For National Cadet Corps (NCC) candidates (including wards of Battle Casualties) 19 to 25 years as on 01 Jul 2026 (born not earlier than 02 Jul 2001 and not later than 01 Jul 2007 both dates inclusive).

Note. Candidates should note that the date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary School Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of applications will only be accepted and no subsequent request for its change will be considered or granted.5

IMPORTANT NOTE. Candidates must note that they can appear for ONLY one of the Services Selection Board (SSB) interview, either SSCW (NT) (WOMEN)-124 Course (Oct 2026) as CDSE candidate OR NCC (Spl) Entry-124 Course (WOMEN) (Oct 2026). Candidates are required to give undertaking to this effect under the declaration part of the online application.

(c) Educational Qualification and other Criteria.

(iii) For NCC 'C' Certificate Holders.

(aa) Educational Qualification. Graduate Degree from a recognized University. Applicants studying in final year are also allowed to apply provided they complete and obtain Graduation Degree before commencement of course. For such candidates the aggregate % scored in first two/three years of three/four year degree course respectively will be considered for shortlisting. It is to be noted that possession of graduate degree is a qualification to apply for the entry and not necessary a qualification to be shortlisted for SSB. The Indian Army reserves the right to shortlist candidates for SSB by applying vacancy to call up ratio based on various filters, as deemed necessary.

(ab) Service in NCC. Should have served for minimum two/three years (as applicable) in Senior Division/Wg of NCC.

(ac) **Grading.** Should have obtained minimum of 'B' Grade in 'C' Certificate Exam of NCC. Applicants who are not holding NCC 'C' Cert or Provisional NCC 'C' Certificate on date of application, are not eligible to apply for the course. Candidates holding Provisional NCC Certificate on dt of application are required to obtain NCC 'C' Certificate before appearing in SSB. **PROVISIONAL NCC 'C' CERTIFICATE WILL NOT BE ACCEPTED AT SSB.**

Note 1. For the Qualified Graduate Candidates of the Degree Course.
Candidates who have passed the graduation degree course must produce the provisional/degree certificate by **1st Oct 2026** to the Directorate General of Recruiting, failing which their candidature will be cancelled.

Note 2. For the Candidates Studying in the Final Year of Degree Course.
The candidates studying in the final year of graduation, if not already in possession of provisional /degree certificate must submit the proof of passing the graduation degree exam alongwith marksheets of all the semesters by **1st Oct 2026** to the Directorate General of Recruiting, failing which their candidature will be cancelled. Those who are not able to produce the degree certificate/provisional degree certificate by the specified date will be inducted on **Additional Bond Basis** only on submission of proof of passing graduation degree exam alongwith marksheets of all semesters to the Directorate General of Recruiting by the above specified date.

Note 3. ALL FINAL YEAR APPEARING CANDIDATES WHOSE FINAL YEAR/FINAL SEMESTER EXAM WILL BE SCHEDULED AFTER 01 OCT 2026 ARE NOT ELIGIBLE TO APPLY FOR THIS COURSE.

Note 4. Candidates, who have yet to pass their graduation degree examination will be eligible only if they are studying in the final year of degree examination. Those candidates who have yet to qualify in the final year Degree Examination and are allowed to appear for SSB, should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing Graduation Degree Examination alongwith all marksheets of Graduation Degree Examination by the above prescribed date and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of basic qualifying University Examination, delay in declaration of results or any other grounds whatsoever.

(ii) For Wards of Battle Casualties of Indian Army Personnel.

(aa) **Eligibility Criteria.** The vacancies under wards of battle casualties are available to wards (unmarried sons and unmarried daughters including legally adopted) of Army Battle casualties specified as:-

- (aaa) Killed in action.
- (aab) Died of wound or injuries (Other than self-inflicted).
- (aac) Wounded or Injured (Other than self-inflicted).
- (aad) Missing, presumed dead.

(ab) Educational Qualification. **Graduate Degree from a recognized University.** Applicants studying in final year are also allowed to apply provided they complete and obtain Graduation Degree before commencement of course. For such candidates the aggregate % scored in first two/three years of three/four year degree course respectively will be considered for shortlisting. It is to be noted that possession of graduate degree is a qualification to apply for the entry and not necessary a qualification to be shortlisted for SSB. The Indian Army reserves the right to shortlist candidates for SSB by applying vacancy to call up ratio based on various filters, as deemed necessary.

(ac) NCC 'C' certificate **NOT required for Wards of Battle Casualties.**

(ad) Details of Documents to be provided in the Application Form.

(aaa) The 'Battle Casualty' certificate Number issued by Manpower (Policy & Planning) Directorate (MP Dte) certifying that the parent has been killed/wounded/reported missing in action.

Note:- Battle casualty certificate issued by respective Record Offices is valid for casualties prior to Sep 2013. For casualties since Sep 2013, battle casualty certificate should have been issued by Adjutant General's Branch Manpower (Policy & Planning)-5(D).

(aab) A copy of Manpower (Policy & Planning) Directorate (MP Dte)/Respective Regimental Records Part II Order Number. notifying injuries and being classified as 'Battle Casualty'.

(aac) Relationship Certificate No issued by Manpower (Policy & Planning) Directorate 5 & 6 / Respective Regimental Records.

Note. Applications will be submitted online by wards of battle casualties with details of documents mentioned as at Paragraph 9 (b) below. However, they will carry all documents at the time of SSB interview in original. Incomplete documents will be summarily rejected by the Selection Centre and no representation in this regard will be entertained or replied.

3. Vacancies.

(a) NCC Women. **06 (05 for General Category and 01 for Wards of Battle Casualties of Indian Army personnel only).**

Note: The Indian Army Publishes/Notifies vacancies separately for each Entry as well as each Gender (Male and Female) based on the operational and administrative needs of the Force as envisaged in the existing and future scenarios. The process of application, SSB shortlisting (Cut-off), Selection and merit of each Entry and each Gender (Male & Female) is independent and not related or dependent. The same is purely based on notified vacancies and driven by applications received against notification for the particular course.

4. Terms and Conditions of Service.

(a) **Tenure of Engagement.** Offrs (Male & Female) shall be liable to serve for ten years. The tenure of ten years of service, however, may be extendable by a further period of four years subject to their opting for the same and found eligible and suitable for extension of service as per terms of engagement issued from time to time. Officers who are desirous of seeking Permanent Commission (PC) may be considered for the same in the 10th years of service in accordance with the eligibility and suitability as per terms of engagement issued from time to time. Those Offrs (Male and Female) seeking PC but are not granted the same, may opt for extension of service. Offrs found eligible and suitable for grant of extension of service as per terms of engagement issued from time, may be granted extension for a period of four years on expiry of which they will be released from the Army.

(aa) **Special Provision for Release on Completion of 5th Year of Service.** SSCOs (Male & Female Officers), other than those who have undergone or are undergoing any other specialised course of such nature, who are desirous of leaving the service after completion of five years service may, during the fifth year of service, apply to the Army HQs for release. Army HQ will consider the applications of such officers on merits and the decision of the Army HQ will be final and irrevocable. On approval such officers will be released from service on completion of 5th year of service. Those SSCOs (Male & Female Officers) who have undergone or are undergoing any other specialised course of such nature, will not be released before expiry of full tenure of 14 years unless the cost of training of such specialised course as prescribed is recovered from them. They will be required to execute a bond to this effect on being nominated for undertaking specialised course of such nature.

(ab) **Special Provision during Extended Tenure. During extended tenure, they will be permitted to seek release from the Army on following grounds:-**

- (i) **Taking up civil job.**
- (ii) **Pursuing higher education.**
- (iii) **Starting own business/ joining family business.**

(b) **Period of Probation.** An officer will be on probation for a period of six months from the date he/she receives his/her commission. If he/she is reported as unsuitable to retain his/her commission, his/her services may be terminated any time whether before or after the expiry of the probationary period.

(c) **Ante Date Seniority. No ante date seniority will be granted.**

(d) **Termination of Commission.** An officer granted Short Service Commission will be liable to serve for ten years but his/her Commission may be terminated at any time by the Government of India for:-

- (i) Misconduct or if his/her services are found to be unsatisfactory, or
- (ii) On account of medical unfitness, or
- (iii) If his/her services are no longer required, or
- (iv) If he/she fails to qualify in any prescribed test or course.

(v) An officer may on giving three months notice be permitted to resign his/her commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his/her commission on compassionate grounds will not be eligible for terminal gratuity.

(e) **Reserve Liability.** Short Service Commission Officers on release before or expiry of contractual length of service will carry reserve liability to serve Indian Army for five years plus two years on voluntary basis or up to the age of 37 years for women whichever is earlier.

5. Training. Duration of training is 49 weeks at Officers Training Academy (OTA), Chennai.

(a) The minimum physical standards that a candidate must acquire before joining training academy, are as follows:-

SN	Activity	Minimum physical standards
		Officer Cadets (Women)
(i)	2.4 Km Run	13 Minutes
(ii)	Push Up	15
(iii)	Pull Up	02
(iv)	Sit Up	25
(v)	Squats	Two Set of 30 Repetitions
(vi)	Lunges	Two Set of 10 Repetitions
(vii)	Swimming	Should know Fundamentals of swimming

(b) Selected candidates will be detailed for Pre-Commission training at OTA, Chennai according to their position in the final order of merit, up to the number of available vacancies, subject to meeting all eligibility criteria.

(c) Candidates will neither be allowed to marry during the period of training nor will he/she be allowed to live with parents/guardians. Candidates must not marry until they complete the full training at OTA. A candidate, who marries subsequent to the date of his/her application, though successful at the SSB interview or medical examination, will not be inducted for training. A candidate if he/she marries, while under training, shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him/her by the Government. It is also applicable to the wards of Battle Casualties of Army Personnel.

(d) All candidates who successfully complete Pre-Commission training at OTA, Chennai will be awarded '**Post Graduate Diploma in Defence Management and Strategic Studies**' by University of Madras.

(e) **Cost of Training.** The entire cost of training at OTA is at Government expense. In case the Officer Cadet is withdrawn from training academy due to reasons other than medical ground or the reasons not beyond his/her control, he/she will be liable to refund cost of training @ ₹ 20,482/- per week (as on 2026) and as notified from time to time (for the period of candidate's stay at the Officers Training Academy, Chennai/Cadet Training Wing). The cost of training is born by State, will be recovered from cadets withdrawing for personal reasons.

6. The final allocation of Arms/Services will be made prior to passing out of Gentlemen /Lady cadets from OTA.

7. Promotion Criteria and Salary Structure.

(a) Promotion Criteria.

Rank	Promotion Criteria
Lieutenant	On commission
Captain	On completion of 2 years reckonable commissioned service.
Major	On completion of 6 years reckonable commissioned service.
Lieutenant Colonel	On completion of 13 years reckonable commissioned service.
Colonel (TS)	On completion on 26 years reckonable commissioned service.
Colonel	On selection basis subject to fulfillment of requisite service conditions
Brigadier	
Major General	
Lieutenant General/HAG Scale	
HAG + Scale (*Admissible to 1/3 rd of total strength of Lieutenant General)	
VCOAS/Army Commander / Lieutenant General (NFSG)	
COAS	

(b) **Adjustment of Seniority.** To make adjustment for shorter training of SSCOs vis-à-vis PC officers, the seniority of SSCOs will be depressed by the period corresponding to the difference in training period between the SSC course under consideration and the training period of its equivalent PC Course. This adjustment of seniority will be carried out at the time of grant of first substantive rank of Captain.

(c) **Reckonable Commissioned Service.** Subject to provision of Para 7 (b) above, reckonable commissioned service for the purpose of these orders will count from the date of grant of Short Service Commission to an officer. The period of service forfeited by sentence of Court Martial or any summary award under the Army Act and the period of absence without leave will not be reckonable. The period during which furlough rates of pay are drawn and the period of captivity at POWs rates of pay will be reckonable. The period of service for promotion lost by an officer in consequence of his/ her having been granted leave without pay will also be reckonable. Such an officer will, however, become entitled to the pay and allowances of the higher substantive rank granted by the inclusion of this period only from the date on which he/ she would have qualified by service if this period had not been so reckoned and not with effect from the date or grant of substantive rank.

(d) **Pay.**

Rank	Level	(Pay in ₹)
Lieutenant	Level 10	56,100 - 1,77,500
Captain	Level 10B	61,300 - 1,93,900
Major	Level 11	69,400 - 2,07,200
Lieutenant Colonel	Level 12A	1,21,200 - 2,12,400
Colonel	Level 13	1,30,600 - 2,15,900
Brigadier	Level 13A	1,39,600 - 2,17,600
Major General	Level 14	1,44,200 - 2,18,200
Lieutenant General HAG Scale	Level 15	1,82,200 - 2,24,100
Lieutenant Gen HAG+Scale	Level 16	2,05,400 - 2,24,400
VCOAS/Army Commander/ Lieutenant General (NFSG)	Level 17	2,25,000/- (fixed)
COAS	Level 18	2,50,000/- (fixed)

(e) **Military Service Pay (MSP).** MSP to the officers from the rank of Lieutenant to Brigadier ₹ 15,500/- p.m. fixed.

(f) **Fixed Stipend for Cadet Training.**

Stipend to Gentlemen or Lady Cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at OTA.	₹ 56,100/-p.m.*
---	-----------------

***On successful commissioning, the pay in the Pay Matrix of the Officer Commissioned shall be fixed in first Cell of Level 10 and the period of training shall not be treated as commissioned service and arrears on account of admissible allowances, as applicable, for the training period shall be paid to cadets.**

(g) **Other Allowances.**

Dearness Allowance	Admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the civilian personnel from time to time
Para Reserve Allowance	₹ 2625/-pm
Technical Allowance (Tier-I)	₹ 3000/-pm
Technical Allowance (Tier-II)	₹ 4500/-pm

(h) Depending upon rank and area of posting, officers posted to Field Areas will be eligible for the following Field Area allowances:-

RH Max Offr Rs. 42500/- Siachen Allowance	HARDSHIP		
	HIGH	MEDIUM	LOW
HIGH	<p>R1H1 Offrs-Rs. 25000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flying Allowance • MARCOS & Chariot Allowance • Special Forces Allowance • Submarine Allowance • COBRA Allowance • High Altitude Allowance-Cat III 	<p>R1H2 Offrs-Rs. 16900</p> <ul style="list-style-type: none"> • HAFA Allowance • CI (fd) Allowance (CI Mod Fd @77% CI Fd) 	<p>R1H3 Offrs-Rs. 5300</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hosp Patient Care Allowance (HPCA) • Patient Care Allowance (PCA) • Test Pilot Firt Engr Allowance
MED	<p>R2H1 Offrs-Rs. 16900</p>	<p>R2H2 Offrs-Rs. 10500</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fd Area Allowance (Mod FD Area @ 60% of Fd Area Allowance • CI (Peace) allowance • Sea going Allowance • Free Fall Jump instr Allowance • Para Jump Instr Allowance • Para Allowance 	<p>R2H3 Offrs-Rs. 3400</p>
LOW	<p>R3H1 Offrs-Rs. 5300</p> <ul style="list-style-type: none"> • High Altitude Allowance-Cat II • Tough location Allowance-I • Boiler watch keeping Allowance • Submarine duty Allowance 	<p>R3H2 Offrs-Rs. 3400</p> <ul style="list-style-type: none"> • High altitude Allowance-Cat I • Tough location Allowance-II • Project Allowance • Compensatory (Const or Svy) Allowance • Hydro Svy Allowance (except non-surveyors) 	<p>R3H3 Offrs-Rs. 1200</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tough location Allowance-III • Cooking Allowance • Hardlying money (full rate) • Health and malaria Allowance • Special LC Gate Allowance • Submarine Tech Allowance • Hydro Svy Allowance (for-surveyors)

(j) Dress Allowance. ₹ 20,000/- per year.

(k) **Ration in Kind**. In Peace and Field Areas.

(l) **Transport Allowance (TPTA)**.

Pay Level	Higher TPTA Cities (Per month)	Other Places (Per month)
10 and above	₹ 7200+DA thereon	₹ 3600+DA thereon

Note.

(i) **Higher TPTA Cities (UA)**. Hyderabad, Patna, Delhi, Ahmadabad, Surat, Bengaluru, Kochi, Kozhikode, Indore, Greater Mumbai, Nagpur, Pune, Jaipur, Chennai, Coimbatore, Ghaziabad, Kanpur, Lucknow, Kolkata.

(ii) The allowance shall not be admissible to those Service personnel who have been provided with the facility of Government transport.

(iii) Officers in Pay Level 14 and above, who are entitled to use official car, will have the option to avail official car facility or to draw the TPTA at the rate of ₹ 15,750+DA thereon.

(iv) The allowance will not be admissible for the calendar month(s) wholly covered by leave.

(v) Physically disabled service personnel will continue to be paid at double rate, subject to a minimum of ₹ 2,250+ DA p.m.

(m) **Children Education Allowance (CEA)**. ₹ 2,250/- per month per child for two eldest surviving only from three classes before class one to 12th Class.

(i) Reimbursement should be done just once a year, after completion of the financial year (which for most schools coincides with the Academic year).

(ii) Certificate from the head of institution where the ward of government employee studies should be sufficient for this purpose. The certificate should confirm that the child studied in the school during the previous academic year.

Note 1. In the case of allowances specific to Indian Armed Forces, the rates of these allowances would be enhanced by 25% automatically each time the Dearness Allowance payable on the revised pay band goes up by 50% (Gol letter No A-27012/02/2017-Estt.(AL) dated 16 Aug 2017).

Note 2. Please note that pay & allowances and rules/provisions thereof are subject to revision from time to time.

(n) **Hostel Subsidy**. ₹ 6,750/- per month per child for two eldest surviving only for three classes before class one to 12th Class.

8. **Army Group Insurance Fund (AGIF).** The Gentlemen/Lady Cadets when in receipt of stipend are insured for ₹ 1.25 Cr as applicable to officers of the regular Army. Monthly AGIF subscription at the rate of ₹ 12,500/- will have to be paid in advance by Gentlemen/Lady Cadets to become member under the AGI Scheme as applicable to regular Indian Army officers. **For those who are invalidated out by Invalidating Medical Board (IMB) on account of disability and not entitled to any pension will be provided ₹ 25 lakhs for 100 percent disability. This will be proportionately reduced to ₹ 5 lakhs for 20 percent disability.** However, for less than 20 percent disability, an Ex-Gratia Grant of ₹ 50,000/- only will be paid. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefit and Ex-Gratia Grant. In addition, Gentlemen/Lady Cadets withdrawn on disciplinary grounds, expelled as undesirable or leaving the Academy voluntarily will not be eligible for disability benefits and Ex-Gratia.

9. How to Apply.

(a) Applications will only be accepted online on website www.joinindianarmy.nic.in. Click on 'Officer Entry Application/Login' and then click 'Registration' (Registrations not required, if already registered on www.joinindianarmy.nic.in). Fill the online registration form after reading the instructions carefully. After getting registered, click on 'Apply Online' under Dashboard. A page 'Officers Selection - 'Eligibility' will open. Then click 'Apply' shown against Short Service Commission NCC Special Entry Course. A page 'Application Form' will open. Read the instructions carefully and click 'Continue' to fill details as required under various segments. Personal information, Communication details, Education details and details of previous SSB. 'Save & Continue' each time before you go to the next segment. After filling details on the last segment, you will move to a page 'Summary of your information' wherein you can check and edit the entries already made. Only after ascertaining the correctness of all your details, click on 'Submit'. Candidates must click on 'Submit' each time they open the application for editing any details. The candidates are required to take out two copies of their application having Roll Number, 30 minutes after final closure of online application on last day.

CANDIDATES ARE ADVISED TO READ THE NOTIFICATION CAREFULLY AND THEN FILL UP ONLINE APPLICATION FORM TO AVOID MISTAKES, AND THEREBY REJECTION OF APPLICATION.

Important Note 1. No changes to details submitted in online application can be made after closure of application. No representation in this regard shall be entertained.

Important Note 2. CGPA/Grades must be converted into Marks as per the formulae adopted by the concerned University for filling 'Marks obtained in Graduation' in online application. Any discrepancy observed at any stage of selection process will lead to cancellation of candidature.

Important Note 3. Candidate's name/parent's name (father & mother)/ date of birth in the profile and online application must be as per matriculation /Secondary School Examination certificate or equivalent certificate issued by the concerned Board of education. Variation in above details will lead to cancellation of the candidature.

(b) **Originals alongwith self attested** copy of following documents are to be carried to the Selection Centre by the candidates:-

DIGILOCKER Certificate will not be accepted in lieu of ORIGINAL CERTIFICATES.

(i) **One copy of the print out of application duly signed and affixed with self attested photograph.**

(iv) **Matriculation/Secondary School Examination Certificate or equivalent certificate and Mark Sheet issued by the concerned Board of Education.**

Note 1. Matriculation/Secondary School Examination Certificate or equivalent certificate issued by the concerned Board of Education will only be accepted as proof of date of birth, candidate's name and parent's name (father & mother). No other document like Admit card/ Mark Sheet/Transfer certificate etc are acceptable.

Note 2. In case parent's name (father & mother) is not mentioned in Matriculation/Secondary School Examination certificate or equivalent certificate, the candidate is required to produce any document issued by Govt of India or States Govt such as PAN card, Aadhaar card, Passport, Driving licence etc for verification. However, candidate's name and their parent's name filled in online application must match exactly with those mentioned in the produced document.

(iii) **12th Class Certificate & Marks Sheet.**

(iv) **Graduation Degree/Provisional Degree issued by a recognised university. Provisional Degree should not be more than six months old at the time of the candidate joining the Academy.**

(v) **Marks Sheets of all years/semesters.**

(vi) **NCC 'C' Certificate (Date of issue of NCC 'C' Certificate to be on or before the date of submission of online application by the candidate). NCC 'C' Certificate is not required from Wards of Battle Casualties.**

(vii) **Certificate regarding CGPA conversion to marks (as applicable) and aggregate percentage from the concerned University duly specifying the rules/ conversion criteria/formula in this regard.**

(viii) **Certificate from the Principal/Head of the Institution stating that the candidate is in final year and his/her result will be declared by 1st of Oct 2026 (only for final year appearing candidates).**

(ix) **Declaration by the candidate of final year degree course that he/she will submit the proof of passing by 1st of Oct 2026 to Directorate General of Recruiting, failing which his/her candidature will be cancelled.**

(x) **The Wards of Battle Casualties will also submit the documents mentioned at Para 2 (c) (ii) (ad) in addition to the documents mentioned above.**

(c) **Any candidate who does not carry the above documents in ORIGINAL for the SSB interview, his/ her candidature will be cancelled and he/she will be returned.**

(d) **All certificates in original to be carried by the candidates for SSB interview for verification. Originals will be returned after verification at the SSB itself. DIGILOCKER Certificates will NOT be accepted in lieu of original.**

(e) DIGILOCKER Certificate will not be accepted in lieu to ORIGINAL Certificates. In case any School/College does not issue Certificate in hard/physical format, a certificate must be obtained from the School/College (principal/Registrar) to that effect stating that only e-certificates has been issued through DIGILOCKER and no hard copy has been provided. In such cases, candidates must produce a colour printout of the e-certificate, duly authenticated by the concerned School/College or University.

(f) **The second copy of the printout of online application is to be retained by the candidate for reference. There is no need to send any hard copy to Directorate General Recruiting.**

(g) Candidates must submit only one online application. Receipt of multiple applications from the same candidate will result in cancellation of candidature, and NO representation will be entertained in this regard.

(h) Candidates serving in the Indian Armed Forces are required to inform their Commanding Officer in writing that they have applied for this examination. Applications of candidates serving in the Armed Forces, duly countersigned by the Commanding Officer should be taken alongwith all other documents as stated above to the SSB interview as and when called for the same.

10. Selection Procedure. The selection procedure is as follows:-

(a) **Shortlisting of Applications.** Shortlisting of applications for SSB will be based on award of bonus marks out of max 100 marks for 'Performance in NCC 'C' Cert and 'Grad Marks'. The details are as under:-

(i) **Bonus Marks for Performance in NCC 'C' Cert.** Max 50 marks will be awarded for performance in NCC 'C' Cert as under:-

(aa) A Grade in NCC 'C' Cert - 50 Marks

(ab) B Grade in NCC 'C' Cert - 25 Marks

(ii) **Bonus Marks for Performance in Graduation (Marks).** Max 50 Marks will be awarded for performance in academics i.e. overall aggregate Graduation, the aggregate marks (percentage) scored in first two/three years of three/four year degree course respectively, will be considered. The bonus marks awarded will be as under:-

(aa) Upto 60% - Nil

(ab) 60.00 to 64.99% - 05 Marks

(ac) 65.00 to 69/99% - 10 Marks

(ad) 70.00 to 74.99% - 20 Marks

(ae) 75.00 to 79.99% - 30 Marks

(af) 80.00 to 84.99% - 40 Marks

(ag) 85.00 to 100.00 - 50 Marks

E.q. 1 Candidate with 78% in Graduation but 'B' Grading in NCC C Cert will be awarded $30 + 25 = 55$ Bonus marks.

E.q. 2 Candidate with 72% in Graduation but 'A' Grading in NCC C Cert will be awarded $20 + 50 = 70$ Bonus marks.

Note 1 Candidate studying in final year of Graduation should note that the aggregate marks (%) scored after completion of Graduation should be same or higher than that achieved in first two/three years of degree course i.e. used at the time of application, failing which their candidature will be cancelled.

(iii) Vac to Call up Ratio. A merit will be prepared after award of Bonus Marks as per criteria given in para (i) and (ii) above. Candidates will then be shortlisted for SSB based on vacancy to SSB Call up Ratio, which will be decided by Dte Gen of Rtg as per organizational requirement. Candidate shortlisted for SSB will be intimated through mail. No intimation will be given to those not shortlisted.

Note 2 The above process of shortlisting will be separate for Men & Women, as per vacs notified and applications recd.

(b) Selection of SSB Centre and Date. After Shortlisting of applications, candidates will have to log in to the website and select their SSB Centre & date which are available on a first come first serve basis. SSB Centre and Date once selected will not be changed later. The option to select SSB Centre & SSB date by candidates may be forfeited due to occurrence of any exceptional circumstance/events. Directorate General of Recruiting, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) reserves the right to change SSB Centre and Date once selected.

(c) Conduct of SSB. Only shortlisted eligible candidates will undergo SSB at Selection Centres, Prayagraj (Uttar Pradesh), Bhopal (Madhya Pradesh), Bengaluru (Karnataka) and Jalandhar (Punjab). Call up letter for SSB interview will be issued by respective Selection Centre on Candidates' registered e-mail ID and SMS only. Candidates will be put through two stage selection procedure. Those who clear Stage I will go to Stage II. Those who fail in Stage I will be returned on the same day i.e 1st day. Duration of SSB interview is five days and details of the same are available on official website of Directorate General of Recruiting i.e. www.joinindianarmy.nic.in. This will be followed by a medical examination for the candidates who get recommended after Stage II.

(d) Joining Pre-Commission Training Academy (PCTA). Candidates recommended by the SSB and declared medically fit, will be issued joining letter for training in the order of merit, depending on the number of vacancies available, subject to meeting all eligibility criteria. Candidature of the candidates will be cancelled if candidate is found to have given wrong information/certificate or has not disclosed relevant information. Being found 'FIT' for joining PCTA does not give any right to candidate to demand joining letter, but is at the discretion of Dte Gen of Rtg as per organizational requirement.

11. Medical Examination. Please visit www.joinindianarmy.nic.in for Medical Standards and Procedures of Medical Examination for Officers Entry into Army as applicable. The validity of SSB medical examination is 270 days i.e. SMB to PCTA joining date. Any candidate who has undergone SSB medical (SMB/AMB/RMB) for any SSB of any service and declared 'Med FIT' need not undergo medical examination again after the SSB of SSC(NCC)-124 provided the date of 1st medical (SMB) upto date of joining this course i.e. **01 Oct 2026** is less than 270 days.

Note. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. Directorate General of Recruiting has no role to play in any Medical Boards and procedure advised by the medical authorities will be strictly adhered.

12. Entitlement for Travelling Allowance. Candidates appearing for SSB interview for the first time for a particular type of **commission** shall be entitled for AC 3-Tier to and fro railway fare or bus fare including reservation-Cum-Sleeper Charges within the Indian Geographical Limits. Candidates who appear again for the same type of commission will not be entitled to travelling allowances on any subsequent occasion. **For any query/clarification regarding admissibility or payment of travelling allowance, the candidates may directly approach the concerned Selection Centre.**

13. Merit List. It is to be noted that mere qualifying at the SSB interview does not confirm final selection. Merit list will be prepared on the basis of the marks obtained by the candidate at SSB interview. In case equal SSB marks are obtained by more than one candidate, the older candidate(s) in age will be ranked higher in the merit. In case both SSB marks and age of more than one candidate are same, the candidate(s) with higher percentage of marks in qualifying examination will be placed higher in the merit. Higher educational qualifications, previous performances, etc have no role to play. Those in the merit list and who come within the stipulated vacancies and are medically fit will be issued joining letters for Pre-Commission training at OTA, Chennai, subject to meeting all eligibility criteria.

14. The candidates who fail to report within 07 days from date of reporting their candidature will be cancelled and the next candidate in merit will be considered to fill the vacancy.

15. On joining Indian Army, some of Personal Restrictions in Service will be imposed in accordance with Article 33 of Constitution of India as promulgated in the Army Act and Army Rules from time to time.

Note 1. Any ambiguity/false information/concealment of information detected in the certificates/documents/online application will result in cancellation of the candidature at any stage of selection and thereafter.

Note 2. The candidate should have never been debarred from appearing in any examination by UPSC.

Note 3. The candidate should have never been arrested or convicted by a criminal court or involved in any case. **In case any such issue comes to notice during the selection process or pre-commission training, candidate / cadet will be subject to cancellation of candidature/withdrawal from the Academy by Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army).**

Note 4. Candidates withdrawn from NDA/IMA/OTA/Naval Academy/Air Force Academy or any Service Training Academy on disciplinary ground are not eligible to apply.

Note 5. For all queries regarding allotment of Selection Centres, date of interview, merit list, joining instructions and any other relevant information please visit our website www.joinindianarmy.nic.in. Queries will be replied **ONLY** through 'Feedback/Queries' option available on the Recruiting Website.

Note 6. Please read the Notification, Tickers on website, Joining Instructions and other instructions uploaded on the website thoroughly before submission of queries in 'Feedback/Query' on our website.

Note 7. In order to avoid last hour rush and ensure timely response, queries received upto three days prior to closing of online application will **ONLY** be entertained / replied.

Note 8. In case of any discrepancy between the English and Hindi versions of this notification, the English version shall prevail.

ONLINE APPLICATION WILL OPEN ON 13 FEBRUARY 2026 AT 1500 HR AND CLOSE ON 16 MARCH 2026 AT 1500 HR.